

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जून 2013—ज्येष्ठ 23, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ ए-3-46-2012-1-पांच (35).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि कोई परिवहनकर्ता जिससे नियम 76 के अधीन प्रवेश जांच चौकी पर प्ररूप 59 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति में, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप 59 प्रस्तुत करेगा.

2. जहां विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्ररूप 59 प्रस्तुत किया गया हो वहां प्रवेश जांच चौकी पर अभिवहन पास अभिप्राप्त करने की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया समझा जाएगा.

3. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ ए-3-46-2012-1-(35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-46-2012-1-पांच (35), दिनांक 13 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th June 2013

No. F. A-3-46-2012-1-V(35).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a transporter who is required to submit Form 59 at the entry check post under rule 76, Shall submit the Form 59 electronically through the official web portal of the Department in accordance with the instruction given in the web portal.

2. Where Form 59 downloaded from departmental website is submitted, the requirement of obtaining transit pass at the entry check post shall be deemed to have been complied with.

3. This notification shall come into force from 1st July 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.